भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1432
दिनांक 12.12.2023/ 21 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध सम्बन्धी मामलेः

†1432. श्री डी.एम. कथीर आनन्दः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सूचित साइबर अपराध के कुल मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या गृह संबंधी स्थायी समिति ने मंत्रालय से प्रत्येक जिले में साइबर अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो ,तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में राज्य-वार कुल कितने साइबर अपराध प्रकोष्ठ और साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से 2022 के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग) और (घ): जी महोदय, गृह संबंधी स्थायी समिति ने प्रत्येक जिले में साइबर अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने की सिफारिश की है।भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। गृह मंत्रालय ने इस मामले में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवश्यकता के अनुसार, पुलिस स्टेशन स्थापित करते हैं।

लोक सभा अता. प्र.सं. 1432 दिनांक 12.12.2023

गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) भी स्थापित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऑनबोर्ड करके साइबर अपराध संक्रेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/ बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर, पूरे देश को कवर करते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम, और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। 2023 में जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) साइबर सेल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों को अपने प्रकाशन "पुलिस संगठनों के आंकड़े"में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। बीपीआरएंडडी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार साइबर सेल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा अता. प्र.सं. 1432 दिनांक 12.12.2023

वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	1899	1875	2341
2	अरुणाचल प्रदेश	30	47	14
3	असम	3530	4846	1733
4	बिहार	1512	1413	1621
5	छत्तीसगढ़	297	352	439
6	गोवा	40	36	90
7	गुजरात	1283	1536	1417
8	हरियाणा	656	622	681
9	हिमाचल प्रदेश	98	70	77
10	झारखंड	1204	953	967
11	कर्नाटक	10741	8136	12556
12	केरल	426	626	773
13	मध्य प्रदेश	699	589	826
14	महाराष्ट्र	5496	5562	8249
15	मणिपुर	79	67	18
16	मेघालय	142	107	75
17	मिजोरम	13	30	1
18	नागालैंड #	8	8	4
19	ओडिशा	1931	2037	1983
20	पंजाब	378	551	697
21	राजस्थान	1354	1504	1833
22	सिक्किम	0	0	26
23	तमिलनाडु	782	1076	2082
24	तेलंगाना	5024	10303	15297
25	त्रिपुरा	34	24	30
26	उत्तर प्रदेश	11097	8829	10117
27	उत्तराखण्ड	243	718	559
28	पश्चिम बंगाल	712	513	401
	कुल राज्य	**49708**	**52430**	**64907**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	8	28
30	चंडीगढ़	17	15	27
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	5	5
32	दिल्ली	168	356	685
33	जम्मू और कश्मीर	120	154	173
34	लद्दाख	1	5	3
35	लक्षद्वीप	3	1	1
36	पुदुचेरी	10	0	64
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**327**	**544**	**986**
	कुल (अखिल भारत)	**50035**	**52974**	**65893**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध।

नागालैंड से वर्ष 2022 के लिए स्पष्टीकरण लंबित हैं।

अनुलग्नक-II

लोक सभा.प्र.सं. 1432 दिनांक 12.12.2023

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साइबर सेल की संख्या	साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3	3
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1
3	असम	3	0
4	बिहार	48	1
5	छत्तीसगढ़	29	1
6	गोवा	1	1
7	गुजरात	5	24
8	हरियाणा	40	8
9	हिमाचल प्रदेश	1	1
10	झारखंड	15	7
11	कर्नाटक	1	8
12	केरल	19	19
13	मध्य प्रदेश	11	1
14	महाराष्ट्र	49	46
15	मणिपुर	10	1
16	मेघालय	11	1
17	मिजोरम	0	1
18	नागालैंड	12	1
19	ओडिशा	34	15
20	पंजाब	28	2
21	राजस्थान	15	2
22	सिक्किम	1	0
23	तमिलनाडु	47	46
24	तेलंगाना	24	3
25	त्रिपुरा	1	0
26	उत्तर प्रदेश	@	18
27	उत्तराखंड	13	2
28	पश्चिम बंगाल	39	31
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0
30	चंडीगढ़	1	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	3	0
32	दिल्ली	0	15
33	जम्मू और कश्मीर	0	2
34	लद्दाख	2	0
35	लक्षद्वीप	1	0
36	पुदुचेरी	1	1
	कुल	**469**	**262**

स्रोत: बीपीआर एंड डी प्रकाशन "पुलिस संगठनों के आंकड़े", 2022

@ 79 (प्रत्येक जिले में 75 साइबर सेल और कमिश्नरी सिस्टम में 04)